35

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 161/2020

दायर दिनांक–03.09.2020

1. नरसाराम पुत्र लिछमण जाति मेघवाल निवासी गिरधरपुरा शाहपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

– वादी

बनाम

1. गिरधारीलाल पुत्र मुसाराम जाति मेघवाल निवासी किशोरपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर हाल आबाद गिरधरपुरा शाहपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
2. महाबीर प्रसाद पुत्र कुरड़ाराम (फौत)
   2/1 तारामणी पत्नी स्व0 महाबीर प्रसाद
   2/2 विनोद कुमार पुत्र स्व0 महाबीर प्रसाद
   2/3 मनीष कुमार पुत्र स्व0 महाबीर प्रसाद
   2/4 विमला पुत्री स्व0 महाबीर प्रसाद
3. भूमि धारक जरिये तहसीलदार नवलगढ़, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री सज्जन चाहर
वकील प्रतिवादी :– श्री सुरेन्द्र कुमार भर्रा

दावा बाबत घोषणा
व रिकॉर्ड दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

दिनांक–18.07.2024

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम गिरधरपुरा शाहपुरा पटवार हल्का टोंकछिलरी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1 रकबा 2.7800 है0 खसरा नम्बर 5 रकबा 2.5400 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 5.3200 है0 स्थित है जिसको आगे वाद पत्र मे विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। दिनांक 19.11.1991 पंजीयन दिनांक 20.11.1991 के द्वारा भूमि खसरा नम्बर 1 व 5 रकबा 2.78 व 2.54 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 5.3200 है0 मे से 1/12 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 गिरधारीलाल उम्र 55 वर्ष पुत्र मुसाराम जाति मेघवाल निवासी किशोरपुरा तहसील नीमकाथाना ने श्री सुखदेवाराम पुत्र हणमान जाति मेघवाल निवासी परसरामपुरा से क्रय की थी उसके बाद प्रतिवादीगण नं0 1 ने उक्त अपना 1/12 हिस्सा दिनांक 07.10.1993 को जरिये इकरारनामा विक्रय पत्र नोटेरी द्वारा श्री लिछमणराम व महावीर पुत्रगण कुलड़ाराम जाति मेघवाल निवासीगण परसरामपुरा को 15000 रूपये में विक्रय कर दी। उसके बाद से ही उक्त भूमि पर क्रेता लिछमणराम का कब्जा व काश्त बना आ रहा है फिर प्रतिवादीगण नम्बर 2 महावीर ने अपना 1/24 हिस्सा वादी के पिता लिछमणराम को ही दे दिया इस प्रकार वादी के पिता लिछमणराम का गिरधारीलाल के 1/12 संपूर्ण हिस्से पर कब्जा व काश्त है व 1/12 हिस्सा लिछमणराम के ही हक व अधिकार में है। दिनांक 12.06.2019 को लिछमणराम फौत हो गया लिछमणराम के फौत होने पर लिछमणराम का वारिस वादी को लिछमणराम के द्वारा क्रय की गई 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी अनुसार गिरधारीलाल का जमाबंदी में नाम हजफ करके गिरधारीलाल की जगह वादी का नाम दर्ज किया जावे।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी नं0 1 ने अपना 1/12 हिस्सा दिनांक 07.10.1993 को ही वादी के पिता को विक्रय कर दिया था अतः राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी नं0 1 का नाम हजफ किया जावे तथा 1/12 हिस्से को वादी के पक्ष में खातेदारी की घोषणा की जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 03 की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । प्रतिवादी संख्या 1 व 2/1 लगायत 2/4 की ओर से वकील श्री सुरेन्द्र कुमार भर्रा उपस्थित न्यायालय होकर इकबालिया जबाब दावा पेश किया।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 03 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 2/1 लगायत 2/4 द्वारा इकबालिया जबाब पेश होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ

की ओर से शहादत वादी हेतु नरसाराम, जगदीश, विनोद व इंद्राज के चिफ के सपथ पत्र पेश किये। वकील प्रतिवादी ने शहादत नही पेश कर वाद अनुसार निर्णय जारी करने हेतु सहमति दी गई। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श–1 लिछमण का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 नकल जमाबंदी सम्वत् 2075 –78, प्रदर्श 3 इकरारनामा प्रदर्श 4 इकरारनामा आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस मे वाद–पत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराया। वकील प्रतिवादी ने वाद पत्र में दर्ज तथ्यों अनुसार निर्णय किये जाने पर सहमति दी। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रदर्श–2 ग्राम गिरधरपुरा शाहपुरा पटवार हल्का टोंकछिलरी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 01 रकबा 2.7800 है0 तथा खसरा नम्बर 05 रकबा 2.5400 है0 भूमि स्थित होना प्रमाणित है। प्रदर्श–3 व 04 इकरारनामा बाबत भूमि बेचान में स्पष्ट अंकित है कि मै गिरधारीलाल पुत्र मूंसाराम जाति हरिजन निवासी किशोरपुरा तहसील नीमकाथाना मै मेरी जमीन गांव गिरधरपुरा शाहपुरा की तन में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1 व 5 रकबा क्रमशः 2.78 है0, 2.54 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 5.32 है0 का 1/12 हिस्सा का बेचान सुखदेवाराम पुत्र हनुमान जाति मेघवंशी निवासी परसरामपुरा को कुल रूपया 15000/– रूपये में बेची है तथा स्टाम्प पर नौटेरी तस्दीक करवाकर विक्रय करवा दी है। इस जमीन में मेरा कोई हक नही है। उक्त ईकरारनामा में गवाह के रूप में क्रेता सुखदेवाराम विक्रेता गिरधारी व उपस्थित गवाहान् के हस्ताक्षर है। जिससे भूमि जरिये इकरारनामा विक्रय किया जाना प्रमाणित होता है तथा वादी के पिता द्वारा उक्त भूमि 15000/– रूपये देकर क्रय की गई थी। वादी द्वारा उक्त भूमि जरिये ईकरारनामा से क्रय किया जाना प्रमाणित है तथा कब्जा काश्त भी भूमि क्रय करने के बाद से वर्तमान तक वादी का होना प्रमाणित है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार का वाद आज तक पेश नही किया है जिससे स्पष्ट है कि वादी का आज तक प्रतिवादीगण की सहमति से शांति पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रतिवादीगण द्वारा भी उक्त के संबंध मे इकबालिया जबाब पत्रावली पर पेश है। ऐसी स्थिति में जहां प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार कर लिया है एवं दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद शेष नही रहा है, वहां न्यायालय को राजस्व हानि/कर चोरी का पक्ष देखना आवश्यक है। वादी द्वारा अपना वाद प्रतिवादीगण के इकबालिया जबाब, दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य एवं कब्जा काश्त अनुसार पूर्णतया साबित पाया गया है। उभय पक्ष की सहमति को देखते हुए न्यायालय राय में उक्त प्रकरण कर अपवंचन का प्रतीत होता है अतः वाद वादी राजस्व हानि के दृष्टि से सशर्त वर्तमान डी.एल.सी. दर से देय मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क वादी से जमा करवाया जाकर वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित है। अतः वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

–:: **आदेश** ::–

लिहाजा वाद वादी सशर्त मुद्रांक कर/पंजीयन शुल्क अदा करने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम गिरधरपुरा शाहपुरा पटवार हल्का टोंकछिलरी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 01 रकबा 2.7800 है0 तथा खसरा नम्बर 05 रकबा 2.5400 है0 भूमि का वादी को 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 01 गिरधारी पुत्र मुसाराम का नाम हजफ किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है कि वह उक्त रकबे पर वर्तमान डी॰एल॰सी॰ दर से देय मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क वादी से जमा करवाने पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 18.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हवाई सिंह 18/07/24

(हवाई सिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

37

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणा व रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:–161/2020 **(नरसाराम बनाम गिरधारीलाल आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **हवाई सिंह यादव** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 18.07.2024 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। लिहाजा वाद वादी सशर्त मुद्रांक कर/पंजीयन शुल्क अदा करने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम गिरधरपुरा शाहपुरा पटवार हल्का टोंकछिलरी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 01 रकबा 2.7800 है0 तथा खसरा नम्बर 05 रकबा 2.5400 है0 भूमि का वादी को 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 01 गिरधारी पुत्र मुसाराम का नाम हजफ किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है कि वह उक्त रकबे पर वर्तमान डी.एल.सी. दर से देय मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क वादी से जमा करवाने पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 18.07.2024 को जारी की गई।

हवाई सिंह 18/07/24

हवाई सिंह यादव (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फास्ट्रेक) नवलगढ़
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00